(4)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्री सन्तोष कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 83/2018/राजस्व वाद

उनवान

1. देवेन्द्र पि. उदयराम उर्फ उदा जाति गुर्जर नि. धामनिया तहसील रायपुर
2. बनवारी पि. उदयराम उर्फ उदा जाति कुल्मी नि.ओसाव तहसील सुनेल

– वादीगण

बनाम

1. उदयराम पि. देवा जाति गुर्जर नि. धामनिया तहसील रायपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 209 रा.टी.एक्ट

निर्णय **दिनांक :**

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा ग्राम धामनिया तहसील रायपुर की जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता सं. 2 आराजी किता 10 रकबा 17 बीघा 3 बिस्वा एवं खाता सं. 5 आराजी किता 8 रकबा 15 बीघा 5 बिस्वा भूमि के संबंध में राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 88 , 209 के तहत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी है जो प्रतिवादी सं. 1 के खाते वादीगण के दादाजी से आई है। इस कारण वादीगण का उक्त आराजियात में जन्म से हक व हिस्सा निहित है जिस पर वे खातेदारी की घोषणा कराने के अधिकारी है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा उक्त आराजियात को वादीगण के नाम दर्ज करने से मना करने के कारण वाद कारण दिनांक 07.06.2018 को उत्पन्न हुआ।

अतः वाद वादीगण स्वीकार कर ग्राम धामनिया तहसील रायपुर की जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता सं. 2 आराजी किता 10 रकबा 17 बीघा 3 बिस्वा एवं खाता सं. 5 आराजी किता 8 रकबा 15 बीघा 5 बिस्वा भूमि का वादीगण को उनके 1/3 , 1/3 हक हिस्से अनुसार खातेदार घोषित किया जावे। वाद पत्र के साथ ग्राम धामनिया की जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता सं. 2 व 5 नकले , नक्शा ट्रेस एवं खसरा गिरदावरी प्रस्तुत की।

COURT 2021

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2021.12.17 14:03:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब करने पर प्रतिवादी सं. 1 की ओर से वकील श्री तूफानसिंह ने वकालातनामा प्रस्तुत कर स्वीकारात्मक जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद वादीगण डिक्री करने का निवेदन किया।

वाद पत्र, स्वीकारात्मक जवाब दावा एवं राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में यह पाया कि ग्राम धामनिया तहसील रायपुर की जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता सं. 2 आराजी किता 10 रकबा 17 बीघा 3 बिस्वा एवं खाता सं. 5 आराजी किता 8 रकबा 15 बीघा 5 बिस्वा भूमि प्रतिवादी सं. 1 उदयराम पि. देवा जाति गुर्जर नि. धामनिया की खातेदारी की है एवं वादीगण उसके पुत्र होकर वैध वारीसान है। हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानो अनुसार पिता की सम्पत्ति में उसके पुत्रों का जन्म से ही हक व हिस्सा निहित है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की आपसी सहमति है।

आदेश

अतः प्रस्तुत वाद में वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम धामनिया तहसील रायपुर की जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता सं. 2 आराजी किता 10 रकबा 17 बीघा 3 बिस्वा एवं खाता सं. 5 आराजी किता 8 रकबा 15 बीघा 5 बिस्वा भूमि में वादी संख्या 1 व 2 को प्रतिवादी सं. 1 उदयराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है।

पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना – अपना वहन करें।
निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2021.12.17 14:03:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

(6)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्री सन्तोष कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 83/2018/राजस्व वाद

उनवान

1. देवेन्द्र पि. उदयराम उर्फ उदा जाति गुर्जर नि. धामनिया तहसील रायपुर
2. बनवारी पि. उदयराम उर्फ उदा जाति कुल्मी नि.ओसाव तहसील सुनेल

– वादीगण

बनाम

1. उदयराम पि. देवा जाति गुर्जर नि. धामनिया तहसील रायपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 209 रा.टी.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ....व हाजिरी वकील वादी मिनजामिन मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादी मिलजामिन मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि

अतः प्रस्तुत वाद में वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम धामनिया तहसील रायपुर की जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता सं. 2 आराजी किता 10 रकबा 17 बीघा 3 बिस्वा एवं खाता सं. 5 आराजी किता 8 रकबा 15 बीघा 5 बिस्वा भूमि में वादी संख्या 1 व 2 को प्रतिवादी सं. 1 उदयराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है।

निज .... मुबलिग .... बाबत् .... खर्चा इस मुकदमें के मय सुद बशरह ....सदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह		
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिशनर		
फीस कमिशनर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक मीजान			मीजान		

COURT 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2021.12.17 14:03:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner